

फा.सं. डब्ल्यूडी/आईसी-21/1/2018-डब्ल्यूडी/आईसी (ई-58090)

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**"नारी शक्ति पुरस्कार" - राष्ट्रीय महिला पुरस्कार - दिशानिर्देश**

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को मनाया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय यह दिवस राष्ट्र के प्रति महिलाओं की उपलब्धियों को पहचान प्रदान करने और समाज में उनके योगदान के प्रति आभार प्रकट करने के रूप में मनाता है।

इसलिए, मंत्रालय ने महिलाओं, विशेषकर कमजोर और साधनविहीन महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए व्यक्तियों और संस्थानों को, उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए प्रत्येक वर्ष "नारी शक्ति पुरस्कार" प्रदान करने का निर्णय लिया है।

**2. उद्देश्य**

2.1 पिछले कुछ वर्षों में, सभी क्षेत्रों में भाग लेने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने और पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा सम्मिलित प्रयास किए गए हैं तथा महिलाओं से संबंधित मुद्दे अति महत्वपूर्ण और ध्यानाकर्षण का केंद्र बन गए हैं। नारी शक्ति पुरस्कार समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से महिलाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

2.2 नारी शक्ति पुरस्कार भारतीय युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को समझने का अवसर भी प्रदान करेगा।

2.3 ये पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों को विजेताओं के संघटन का अनुकरण करने के लिए प्रेरित करेंगे।

**3. विवरण**

3.1 नारी शक्ति पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी तक की जाएगी और पुरस्कार 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे।

3.2 पुरस्कारों (व्यक्तिगत और संस्थागत सहित) की अधिकतम संख्या 15 होगी। तथापि, चयन समिति के विवेक पर इस अधिकतम संख्या में छूट प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक श्रेणी के पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र और प्रति विजेता दो लाख रुपये की नकद राशि प्रदान की जाएगी।

**4. नामांकन के लिए पात्रता के मानदंड**

4.1 इन पुरस्कार के लिए सभी व्यक्ति और संस्थान नामांकन करा सकते हैं।

4.2 वैयक्तिक श्रेणी के मामले में, पुरस्कार वर्ष के 01 जुलाई को पुरस्कार प्राप्तकर्ता की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए (उदाहरण के लिए, 08 मार्च, 2022 को वितरित किए जाने वाले वर्ष 2021 के पुरस्कारों के लिए आयु 01 जुलाई, 2021 को 25 वर्ष होनी चाहिए)।

4.3 यदि आवेदक कोई संस्था है, तो उसे संबंधित क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।

4.4 आवेदक ने इससे पूर्व यह पुरस्कार (मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए "स्त्री शक्ति पुरस्कार" सहित) प्राप्त न किया हो।

4.5 नारी शक्ति पुरस्कार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण या इससे संबंधित अथवा आनुषंगिक क्षेत्रों में वरीयतः असाधारण परिस्थितियों में किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए व्यक्तियों/समूहों/संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों आदि को दिए जा सकते हैं।

नारी शक्ति पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों/समूहों/गैर-सरकारी संगठनों/संस्थानों आदि को प्रदान किए जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं को निर्णायकारी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया हो; पारंपरिक और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित किया हो; ग्रामीण महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु कार्य किया हो; महिलाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, कला, संस्कृति आदि जैसे गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में ठोस रूप में और सुरक्षा एवं संरक्षा, स्वास्थ्य एवं सेहत, शिक्षा, कौशल विकास, महिलाओं का आदर एवं सम्मान आदि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ावा दिया हो।


4.6 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भी एक पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) में प्रशंसनीय सुधार किया है।

4.7 सामान्यतः मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाएगा; सिवाय ऐसे मामलों के, जिनमें इन दिशानिर्देशों में निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत करने के पश्चात मृत्यु हुई हो।

## 5. नामांकन

5.1 पुरस्कार के लिए नामांकन निम्नलिखित से आमंत्रित किए जाएंगे :

- (क) राज्य सरकारें, केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन, संबंधित केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
- (ख) गैर-सरकारी संगठन, विश्व-विद्यालय/संस्थान, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू)
- (ग) चयन समिति भी पुरस्कार के लिए स्वतः पर्याप्त औचित्य के साथ किसी व्यक्ति/संस्थान की अनुशंसा कर सकती है।
- (घ) पुरस्कार के लिए स्व-नामांकन एवं अनुशंसा दोनों पर विचार किया जाएगा।



5.2 आवेदन पत्र में उल्लेखित सहायक दस्तावेजों सहित नामांकन आनलाइन आवेदन पत्र के अनुसार ब्यौरों के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

5.3 पैरा 5.1 में दर्शाये गये नामांकन की अनुशंसा करने वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को नामांकित द्वारा किए गए कार्यों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए जिसके लिए पुरस्कार प्रदान करने की सिफारिश की जा रही है।

## 6. नामांकन आमंत्रित करने की पद्धति

6.1 पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए, नामित पोर्टल वर्ष भर खुला रहेगा। तथापि, जिस वर्ष के लिए पुरस्कार दिए जाने हैं उसके 31 दिसंबर तक प्राप्त आवेदनों पर उस कैलेंडर वर्ष के लिए विचार किया जाएगा (उदाहरण के लिए, वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों के लिए, 31.12.2021 तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया जाएगा)। आगामी वर्ष की 1 जनवरी के बाद प्राप्त हुए आवेदनों पर उस कैलेंडर वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए विचार किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा इन पुरस्कारों के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इसके लिए नामित पोर्टल के माध्यम से नामांकन करने हेतु सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों, केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों को भी लिखा जाएगा। सरकार स्व-विवेक से, किसी वर्ष विशेष के लिए पुरस्कारों हेतु प्राप्त नामांकनों/ आवेदनों पर विचार करने हेतु कोई अन्य निर्णायक तारीख निश्चित कर सकती है।

6.2 संगत ब्यौरों के साथ यह सूचना मंत्रालय की वेबसाइट और सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफार्मों एवं संचार के अन्य माध्यमों पर भी साथ-साथ अपलोड की जाएगी।

## 7. नामांकन भेजने की प्रक्रिया

7.1 नामांकन केवल यथा निर्धारित वेबसाइट ([www.awards.gov.in](http://www.awards.gov.in)) के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ([www.wcd.nic.in](http://www.wcd.nic.in)) पर भी उपलब्ध होगा। ऑनलाइन मोड से भिन्न माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.2 नियत तिथि तक प्राप्त आवेदनों को आवेदनों में उल्लिखित उपलब्धियों एवं दावों के सत्यापन के लिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्र तथा जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट, अन्य सरकारी/ उपयुक्त एजेंसियों/ संगठनों के पास भेजा जाएगा।

## 8. नामांकनों की स्क्रीनिंग

8.1 आवेदन करने वाले/ संस्तुत व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत उपलब्धियों की जांच करने तथा संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक स्क्रीनिंग समिति गठित की जाएगी।



8.2 स्क्रीनिंग समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i)	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	महिलाओं से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में डोमेन विशेषज्ञ/ जेंडर विशेषज्ञ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(iii)	संबंधित निदेशक/ उप-सचिव स्तर का अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य
(iv)	निदेशक/ उप-सचिव स्तर का अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय एवं नीति आयोग	-	सदस्य
(v)	सीआईआई एवं फिक्की लेडीज अर्गनाइजेशन (एफएलओ) का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(vi)	संबंधित अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य सचिव

## 9. चयन समिति द्वारा पुरस्कार विजेताओं का चयन

9.1 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा स्क्रीनिंग समिति की सिफारिशों के आधार पर विजेताओं का चयन करने हेतु एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।

9.2 चयन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(i)	माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री	-	अध्यक्ष, पदेन
(ii)	माननीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	-	सदस्य, पदेन
(iii)	सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(iv)	विशेष अथवा अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(v)	सचिव या उनका प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय	-	सदस्य, पदेन
(vi)	राष्ट्रीय स्तर के पांच सुविख्यात गैर-सरकारी संगठन/ व्यक्ति/ संस्थान	-	सहयोजित सदस्य
(vii)	संयुक्त सचिव (महिला पुरस्कार)	-	सदस्य सचिव

9.3 चयन समिति नामांकन/ अनुशंसा प्राप्त करने की अंतिम तिथि से पूर्व नामांकित/ संस्तुत व्यक्तियों/ संस्थाओं/ संगठनों के अलावा भी व्यक्तियों/ संस्थाओं/ संगठनों पर स्व-विवेक से विचार कर सकती है।

## 10. पुरस्कार वितरण

10.1 ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित विशेष समारोह के दौरान प्रदान किए जाएंगे।

10.2 मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं के द्वारा बिल और एयर टिकट प्रस्तुत करने पर इकोनॉमी क्लास से एयर इंडिया या विशेषतौर पर अनुमत किसी अन्य एयरलाइन द्वारा निकटतम रूट से दिल्ली आने और वापस जाने के लिए यात्रा व्यय तथा स्थानीय परिवहन भत्ता की प्रतिपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पुरस्कार विजेताओं के लिए तीन दिन (पुरस्कार समारोह की तिथि से एक दिन पूर्व और एक दिन बाद) के लिए रहने और खाने-पीने की व्यवस्था करेगा।

## 11. पुरस्कारों को वापस लेना

यदि पुरस्कार वितरण के बाद यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र में झूठी घोषणा की गई है अथवा किसी पुरस्कार विजेता के आचरण को महिलाओं के विरुद्ध अपराध, आर्थिक अपराध आदि या किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि सहित किसी राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी, अनैतिक, गैर-कानूनी गतिविधियों के रूप में अशोभनीय पाया जाता है, तो मंत्रालय पुरस्कारों को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसी स्थिति में विजेता का नाम पुरस्कार विजेताओं की सूची से हटा दिया जाएगा तथा उनको यथा-निर्धारित ढंग से भारत की समेकित निधि में पुरस्कार की राशि वापस करनी होगी।

## 12. पुरस्कारों को अभिशासित करने वाले विविध प्रावधान

12.1 मंत्रालय कोई कारण बताए बगैर और/ या खुलासा किए बगैर किसी प्रविष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

12.2 पुरस्कार विजेताओं के चयन के संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा तथा आवेदक सहित किसी व्यक्ति को सरकार के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगाने या ऐसे निर्णय की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।



(दया शंकर)

उप सचिव, भारत सरकार